पंकज कुमार
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2288377 (का0) फैक्स – (0522) 2288410
CIN : U32201UP1999SGC024928

संशोधित

पत्रांकः 1990 / मु0अ0(वाणिज्य) / सी0यू0–दो / ओ0टी0एस0 / 2021–22 दिनांकः अक्टूबर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा कारपोरेशन के पत्रांकः 1979 / मु0अ0(वाणिज्य) / सी0यू0–दो / ओ0टी0एस0 / 2021–22 दिनांक 20.10.2021 द्वारा समस्त वितरण निगमों में समस्त विद्युत भार के एल0एम0वी0–1 (घरेलू) एवं एल0एम0वी0–5 (निजी नलकूप) तथा 5 कि0वा0 तक के विद्युत भार के एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक) श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं के विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु लागू "एकमुश्त समाधान योजना" के सफल क्रियान्वयन हेतु योजना के अन्तर्गत निम्न प्रक्रिया एवं उत्तर दायित्व तत्काल प्रभाव से निर्धारित किया जाता हैः–

क्रम सं0	कार्य बिन्दु	आपेक्षित कार्यवाही	उत्तरदायित्व	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व
1.	योजना में उपश्रेणीवार लक्ष्य का निर्धारण	बीटवार	अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी
		फीडरवार	अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी
		उपकेन्द्रवार	उपखण्ड अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
		उपखण्डवार	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
		खण्डवार	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता (वितरण)
		मण्डलवार	मुख्य अभियन्ता	डिस्काम मुख्यालय
		क्षेत्रवार	डिस्काम मुख्यालय	–
2.	सभी बकायेदार उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप में उसके बिल / छूट की जानकारी देना	प्रत्येक बकायेदार उपभोक्ता को उसके बिल एवं छूट की धनराशि के सम्बन्ध में सिस्टम जनरेटेड नोटिस जारी करना	उपखण्ड अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता (वितरण)
		उपरोक्त नोटिस का वितरण करना	मीटर रीडर / संविदा कर्मी	अवर अभियन्ता
3.	कैम्पों का अयोजन	योजना अवधि में प्रत्येक उपकेन्द्र पर दैनिक रूप से कैम्पों का आयोजन कराना	अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी

4.	योजना में उपश्रेणीवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति समीक्षा	बीटवार	संविदाकर्मी / मीटर रीडर	अवर अभियन्ता
		फीडरवार	संविदाकर्मी / मीटर रीडर	अवर अभियन्ता
		उपकेन्द्रवार	अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी
		उपखण्डवार	उपखण्ड अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता
		खण्डवार	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
		मण्डलवार	अधीक्षण अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता (वितरण)
		क्षेत्रवार	मुख्य अभियन्ता (वितरण)	डिस्काम मुख्यालय
5.	बिल संशोधन	योजना में बिल संशोधन का विकल्प देने वाले उपभोक्ताओं का ससमय ऑनलाइन कार्यवाही किये जाना	उपखण्ड अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता / मुख्य अभियन्ता (वितरण)
		उपरोक्त संशोधित बिल एस0एम0एस0 के माध्यम से सम्बन्धित उपभोक्ता को एवं वेबसाईट पर उपलब्ध कराना	आई0टी0 इकाई, डिस्काम	आई0टी0 इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0
6.	योजना का कियान्वयन i. योजना में उपश्रेणीवार लक्ष्य का निर्धारण करने वाले उत्तरदायी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह दिनांक 22.10.2021 तक क्षेत्रवार से लेकर बीटवार तक लक्ष्य का निर्धारण कर देंगे। ii. अधिशासी अभियन्ता (वितरण) का यह दायित्व होगा कि वह दिनांक 23.10.2021 तक प्रत्येक बकायेदार उपभोक्ताओं से सम्बन्धित सिस्टम जेनेरेटेड नोटिस बीटवार सभी उत्तरदायी अधिकारियों / कर्मचारियों को उपलब्ध करा देंगे।			
7.	योजना की प्रगति का अनुश्रवण i. पर्यवेक्षणीय अधिकारी प्रतिदिन उत्तरदायी अधिकारी स्तर पर लक्ष्य के अनुरूप प्रगति का अनुश्रवण करेंगे। ii. योजना अवधि में मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा खण्ड स्तर तक लक्ष्य के अनुरूप प्रगति का अनुश्रवण प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार किया जायेगा। iii. डिस्काम मुख्यालय द्वारा मण्डल स्तर तक लक्ष्य के अनुरूप प्रगति का अनुश्रवण प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार किया जायेगा। iv. मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा प्रतिदिन अपने क्षेत्र में कम से कम एक कैम्प का भ्रमण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना का क्रियान्वयन अपेक्षानुसार किया जा रहा है। v. इसी प्रकार अधिशाषी अभियन्ता का दायित्व होगा कि प्रतिदिन प्रत्येक उपखण्ड का कम से कम एक कैम्प का भ्रमण करेगा एवं निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति किये जाना सुनिश्चित करेगा।			

योजना सम्बन्धी उपरोक्त कार्यों पर कार्यवाही पूर्ण करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्मिकों का होगा। जिसकी प्रगति का गहन अनुश्रवण सम्बन्धित डिस्काम मुख्यालय स्तर पर किया जाये तथा शिथिलता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही डिस्काम मुख्यालय द्वारा कर उ0प्र0पा0का0लि0 मुख्यालय को सूचित किया जाये। इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तर पर सूचना एकत्रित करने हेतु प्रपत्र 1 एवं 2 संलग्न है।

संलग्नक–यथोपरि।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

पत्र संख्याः /मु0अ0 (वाणिज्य)/सीयू0–दो/ओ0टी0एस0/2021–22 तद् दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं केस्को, कानपुर को इस निर्देश के साथ की वह सभी उत्तरदायी एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों तक इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति आज ही उपलब्ध करा दी जाये।
4. मुख्य अभियन्ता (आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण)।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निजी सचिव माननीय ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 शासन को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रारूप–1

दिनांक:–

एकमुश्त समाधान योजना के अर्न्तगत प्रतिदिन आयोजित कैम्पों एवं पूर्ण भुगतान उपभोक्ताओं का उपकेन्द्रवार विवरण

.... विद्युत वितरण निगम लि0........

क्षेत्र का नाम	निर्धारित लक्ष्य	उपकेन्द्र की संख्या	उपकेन्द्र की संख्या जहाँ कैम्प आयोजित किये गये	पूर्ण भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या
1	2	3	4	5

प्रारूप–2

दिनांकः

.... विद्युत वितरण निगम लि0.........

क्षेत्र का नाम	कुल बकाएदार उपभोक्ताओं की संख्या	उपभोक्ताओं जिनको नोटिस तामील की जा चुकी है की प्रगामी संख्या
1	2	3
कुल योग		